

राजभाषा

राजभाषा से संबंधित संविधान के प्रावधानों और राजभाषा अधिनियम, 1963 और 1976 के प्रावधानों को लागू करना। इन अधिनियमों की सभी धाराओं जैसे कि धारा 3 (3), नियम 5 और उसके सभी प्रावधानों का अनुपालन। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए जा रहे वार्षिक कार्यक्रम का अनुपालन।

आदेश, परिपत्र, ज्ञापन, पत्र और अन्य दस्तावेजों का आवश्यकतानुसार हिंदी से अंग्रेजी एवं अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना।

केंद्र के सरकारी कर्मचारियों के लिए हिंदी शिक्षण योजना, हिंदी टाइपिंग प्रशिक्षण सहित संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी के प्रगतिशील प्रयोग से संबंधित सभी मामलों के लिए नोडल जिम्मेदारी।

अधिकारियों के लिए उन्हें हिंदी में और अधिक आरामदायक और कुशल बनाने के लिए हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन करना और उन्हें हिंदी पत्रिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हिंदी पखवाड़ा समारोह का आयोजन करना।

हिंदी की त्रैमासिक प्रगतिशील रिपोर्ट से संबंधित सभी मामलों में समन्वय और आधिकारिक भाषा समिति की बैठक का आयोजन और साथ ही शहर की आधिकारिक भाषा समिति में सक्रिय भागीदारी।

मुख्यालय और संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को आधिकारिक भाषा से संबंधित सभी त्रैमासिक और वार्षिक रिपोर्ट भेजना और उसका अनुपालन करना।

क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों से संबंधित मामले।

आधिकारिक भाषा पर संसद की समिति से संबंधित मामले।